

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधानकार्यालय
इलाहाबाद।

पत्र सं. 797-ई/पालिसी/2018/DOP
दिनांक 16.10.2018

NCRPS No. 5287/2018

उप म. प्र. / उप म. प्र. / इलाहाबाद
समस्तीविभागाध्यक्ष / उमरे / इला., वरि.उप म. प्र., उप म. प्र. / सा.मु.प्रशा.अधि. / नि.
मंडलरेलप्रबंधक / कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, झांसी, आगरा।
मुख्य कारखानाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगनरिपेयर शॉप, झांसी।
मुख्य कारखानाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेलस्प्रिगंकारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
वेयरमैन, आरआरसी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
उप मु. सा. प्र. / झांसी, उप मुख्य इंजी. / सीपीओएच / इला., अधि.इंजी. / सीएसपी / इला.।
प्रिन्सिपल-सुपरवाइजरसट्रेनिंगसेंटर, झांसी, बेसिकट्रेनिंगसेंटर, लोको, झांसी,
बेसिकट्रेनिंगसेंटर, सी एण्ड डब्ल्यू, झांसी, बेसिकट्रेनिंगसेंटर, वैगनवर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड
डब्ल्यू, ट्रेनिंगसेंटर, कानपुर, परमानेन्टवेट्रेनिंगसेंटरझांसी, ट्रान्सर्पोटेशन,
ट्रेनिंगसेंटरसूबेदारगंज, इला., इलैक्ट्रिकट्रेनिंगसेंटरकानपुर, मु.प्रा.अधि.,
आईआरपीएमयू / नईदिल्ली।
उप मु.इंजी. / ब्रिज / लाईन / इला., झांसी, आगरा, उप मु.इंजी. / टीएमसी / लाईन / झांसी।
व.सा.वि.स. / कैश एवंपे / उमरे, इला.।

Sub:-Delegation of Powers of redistribution of funds.

रेलवेबोर्ड के पत्र सं. 2011-B-174 दिनांक 30.08.18की प्रतिलिपिआपकेसूचनार्थ,
मार्गदर्शन एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषितहै।

संलग्नक- यथोक्त।

(वी.पी. सिंह)

वरिष्ठकार्मिकअधिकारी / मुख्या.
कृतेमहाप्रबंधककार्मिक

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतु-

1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक / स्था., उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयरइन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक- एस.सी., एस.टी. उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एनसीआरई एस, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
6. महामंत्री, एनसीआर एम यू, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
7. महामंत्री, एनसीआरपीओ ए, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।

23/10/18

RBL-2018-1744

5-9-18

भारत सरकार / Government of India
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड / Railway Board)

150/11

उंNo.2011-B-174

3

नई दिल्ली New Delhi, dated 30.8.2018

The General Managers, NCR
All Indian Railways, CORE and Production Units.
Director General, RDSO,
Chief Administrative Officers (R), MTP/Chennai and BMW/Patiala.

Sub : Delegation of powers of redistribution of funds

In continuation of this Ministry's letter of even number dated 3.7.2015 and 16.2.2017, Board has decided the following relaxation in delegation of powers of redistribution under Capital Segment of Demand No.80 - Ministry of Railways for Assets-Acquisition, Construction & Replacement -

Existing Provision :

Para D, prior approval of Railway Board is required in following cases:-

D.1(h) for any reappropriation/redistribution under allocation EBR (Extra Budgetary Resources) e.g. PPP, Deposit, Institutional Finance, Market Borrowings/Bonds etc.

Modification :

D.1(h) for any reappropriation/redistribution under allocation EBR (Extra Budgetary Resources) e.g. PPP, Deposit, Market Borrowings/Bonds etc.

(Therefore, with this modification, Railways may carry out reappropriation under 'EBR(Institutional Finance)' among Pink Book itemised works within the same planhead, while remaining within the total sanctioned outlay for the financial year, other conditions remaining the same).

2. The computer module 'VPN-enabled Railway Budget System (VeRBS)' is being modified to cater to the above changes.

Signature

(Anand Prakash) 30/8/18

Exec Director, Finance (Budget)
Railway Board

Copy to : The PFAs, All Indian Railways, CORE & Production Units

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
दि 05 सेप्टेम्बर 2018
उप महाप्रबन्धक साधिव

PFA

RR P/CMOS, ACR

11.9.18
PFA

5/9/18

Signature

R
AM
4/10/18

प्र० मुकाधिम	
मुकाधिम (पशात)	
मुकाधिम (आई० आर०)	
उप मुकाधिम (राज०)	
उप मुकाधिम (मुख्य०)	
उप मुकाधिम (आई०)	
अध्यक्ष/रेगम० प्र०	
प्र० का० अधिम (राज०)	
प्र० का० अधिम (आई०)	
प्र० का० अधिम (मुख्य०)	
सकाधिम (आई० आर०)	
सकाधिम (अती०)	
मु. कार्य० अधिम/अधी० अधिम	

11/09/18

Signature

Policy